न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 118/18

सुगर सिंह पुत्र वहोरन सिंह आयु 34 वर्ष जाति सिकरवार निवासी ग्राम मोहनपुर थाना चिन्नौनी जिला मुरैना म.प्र.

----आवेदक

विरुद्ध

आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा

——अनावेदक

02-04-2018

आवेदक / अभियुक्त सुगर सिंह की ओर से श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे०एम०एफ०सी०) गोहद से मूल आपराधिक प्र०क० 718/10 शा०पु० एण्डोरी विरूद्ध सुगर सिंह आदि प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. यादव ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 718 / 10 संचालित हुआ है, जिसमें आवेदक पूर्व से जमानत पर था तथा उसके भाई की मृत्यु होने से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था, इसलिये उसकी जमानत जप्त कर वारंट जारी किया गया था। आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समर्पण किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने उसका जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है। आवेदक दिनांक 24.03.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के अलावा घर पर कमाने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है जेल में रहने से आवेदक का पूरा परिवार भूखा मर जावेगा। अभियुक्त मजदूर पेशा परिवार का एक मात्र कर्ताधर्ता है। वह जमानत मिलने पर नियमित रूप से प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तथा न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः अभियुक्त को पूनः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्षों के निवेदन पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण कमांक 718/10 के संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष नियत पेशी दिनांक 01.08.2016 को अभियुक्त परीक्षण की स्टेज पर अभियुक्त के उपस्थित नहीं रहने के कारण उसके जमानत मुचलके जप्त किये जाकर दिनांक 19.12.2016 को उसके विरूद्ध स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किये जाने के पश्चात दिनांक 24.03.18 को न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा समर्पण किये जाने के उपरांत उसकी ओर से प्रस्तृत जमानत आवेदन पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। अभियुक्त द्वारा वर्ष 2010 से अर्थात दीर्घकाल से लम्बित प्रकरण में प्रथम बार ही जमानत का दुरूपयोग किया गया है तथा वह उक्त प्रकरण में विगत करीब 9 दिवस से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विरूद्ध जे०एम०एफ०सी० न्यायालय के समक्ष धारा 25 (1-बी) ए आयुध अधिनियम के अंतर्गत उक्त प्रकरण अभियक्त परीक्षण की स्टेज पर विचाराधीन है तथा प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना है तथा उक्त मामला जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है और उसे गरीब मजदूर पेशा परिवार का एक मात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है एवं अनुपस्थिति का उसके भाई की मृत्यु हो जाना बताया है। अनुपस्थिति बावत न्यायिक अभिरक्षा की अवधि शिक्षाप्रद प्रतीत होती है।

विचारोपरांत आवेदक / आरोपी की ओर से संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 30,000 / — रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय की पेश होने पर कि वह प्रत्येक पेशी पर विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

आरोपी के मुचलके की राशि राजसात किये जाने के संबंध में धारा 446 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण न्यायालय विधिवत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड WITHOUT PRICION SUNTERS AND THE PRICE OF THE